निर्णय बइजलास श्री शक्तिसिंह भाटी, सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्र.सं. 47/2020 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 07.10.2020

अनवान

याशिका ग्रेनिटो, नवकार भवन, भीलवाड़ा रोड़, देवगढ़ जरिये अधिकृत भागीदार

1. राजेन्द्र यादव पिता परसराम यादव जाति यादव उम्र 45 वर्ष निवासी आदित्य मिल कॉलोनी, लक्ष्मीनाराण मन्दिर के पास, ए–6 मदनगंज, किशनगढ़ हाल मुकाम गगवाना, अजमेर (राज.)
2. कैलाशचन्द्र मेहता पिता बाबुलाल जी जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाड़ा मार्ग देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)
3. वन्दना यादव पत्नी राजेन्द्र यादव जाति यादव उम्र 40 वर्ष निवासी आदित्य मिल कॉलोनी, लक्ष्मीनाराण मन्दिर के पास, ए–6 मदनगंज, किशनगढ़ हाल मुकाम गगवाना, अजमेर (राज.)
4. उर्मिला मेहता पत्नी कैलाशचन्द्र मेहता जाति जैन उम्र 40 वर्ष निवासी खादी भण्डार के पास, नवकार भवन, भीलवाड़ा मार्ग देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – श्री राजेश समदानी, प्रार्थी अधिवक्ता
श्री राजकीय पैरोकार विपक्षी श्रीमान तहसीलदार देवगढ़

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की भूमि ग्राम ग्राम कनवेरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी की खातेदारी भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 2/3 रकबा 5–00 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा नये आराजी खसरा नम्बर 46 क्षैत्रफल 1.0800 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

––2

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार मालिक हैं एंव उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शे मे जो प्रार्थी की भूमि नये आराजी नम्बर 46 जिस स्थान पर अंकित किये गयें हैं वह गलत दर्ज है जबकी प्रार्थी की उक्त भूमि के पुराने आराजी नम्बर 2/3 जहां पुराने राजस्व नक्शे में दर्ज था वह सही है तथा उसी अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज है। परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में सेटलमेन्ट विभाग की गलती से खसरा नम्बर 46 को गलत स्थान पर तरमीम कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार ही मौके पर काबिज है। उक्त राजस्व नक्शे में गलत अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस एंव रेकार्ड प्राप्त करने पर हुई। राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि के आराजी नम्बर 46 जिस स्थान पर अंकित किया गया हैं वह गलत दर्ज हैं उसकी जानकारी प्रार्थी को नही थी परन्तु अभी प्रार्थी द्वारा उक्त आराजीयात की जमाबन्दी नकल निकलवाई तब प्रार्थी को जमाबन्दी में त्रुटी की जानकारी हुई। जिस पर प्रार्थी ने जमाबन्दी नकल एंव राजस्व नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व नक्शे में त्रुटी रह गई हैं और प्रार्थी के खसरा नम्बर वर्तमान राजस्व नक्शे में दर्ज हैं जो त्रुटी वश दर्ज है एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 46 को सेटलमेन्ट पूर्व राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम कर दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वास्तविक एंव सभी दस्तावेज, जिसमें सम्वत् 2070 से 2073 की पटवारी हल्का द्वारा जारी की गई नकल, राजस्व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पूर्व नक्शा ट्रेस जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज हैं उसी स्थान पर नये आराजी नम्बर 46 को अंकित कर दर्ज किया जावें। राजस्व रिकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी की वजह से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मुझ प्रार्थी को इस त्रुटी की पूर्व में जानकारी नहीं थी परन्तु प्रार्थी को अपनी भूमि के दस्तावेजो की जरूरत पडी तो चालु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत स्थान पर अंकन कर दिया गया है जबकि प्रार्थी मौके पर पुराने राजस्व नक्शा ट्रेस एंव जमाबन्दी रेकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज हैं परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत अंकन हो जाने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं तथा वर्तमान राजस्व नक्शे में त्रुटी वश हुए गलत अंकन को पूर्व जमाबन्दी एंव राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थी का मौके पर कब्जा हैं उसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकन करा दुरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरस्ती के लिए श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

—3

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गयें जिनके सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रत्युत्तर में विपक्षी राज्य सरकार की ओर से श्रीमान तहसीलदार देवगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपनी पुराने आराजी नम्बर 2/3 पुराने नक्षे में जिस स्थान पर तरमीम हैं उसी स्थान पर काबिज है किन्तु सेटलमेन्ट के बाद लागु नक्षा ट्रेस में अंकित नवीन आराजी नम्बर 46 प्रार्थी के पूर्व के तरमीमसुदा व कब्जेसुदा आराजी नम्बर 2/3 के विपरीत भिन्न स्थान पर तरमीम हो गया है जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रार्थी की भूमि का नवीन आराजी नम्बर 46 सेटलमेन्ट से पूर्व के तरमीमसुदा नक्शे के विपरीत भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के वक्त तरमीम हुआ है। प्रार्थी अपने पूर्व के तरमीमसुदा आराजी नम्बर 2/3 पर ही काबिज हैं। भू–प्रबंध विभाग से जारी नवीन नक्षा ट्रेस व पूर्व का राजस्व रेकार्ड व नक्शे में भिन्नता है। प्रार्थी द्वारा पेश राजस्व रेकार्ड, नक्शा ट्रेस व मौके पर कब्जे संबधित रिपोर्ट एंव सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करने की रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का विकास कर सकें एंव प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 2/3 रकबा 5–00 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा नये आराजी खसरा नम्बर 46 क्षैत्रफल 1.0800 हैक्टेयर हैं जो राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी होने से शुद्व किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के जवाब के साथ पेश दस्तावेज जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा एंव पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश जवाब पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—4

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 46 को पुराने खसरा नम्बर 2/3 पुरानी जमाबन्दी एंव पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार जो वर्तमान राजस्व ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में अंकन को विशुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रार्थी वर्तमान में जहां पूर्व नम्बर व ट्रेस अनुसार काबिज हैं उसी स्थान पर नये नम्बर को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़